

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ-91/1/सा.प्र.वि./2025/650

भिलाई, दिनांक 22.04.25

//आदेश//

श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा, आ0 श्री कुंजलाल वर्मा, अधीक्षण अभियंता की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 30.06.2025 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 56 के अनुसार माह की अंतिम तिथि दिनांक 30.06.2025 अपरान्ह को नगर पालिक निगम, भिलाई से सेवानिवृत्त किया जाता है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 22.04.25

पृ.क्र./एफ-91/1/सा.प्र.वि./2025/65/
प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा आ0 श्री कुंजलाल वर्मा, अधीक्षण अभियंता नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. सहायक अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. पेंशन लिपिक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई